


16.8.23 पत्रावली पेश। वकील प्रार्थी या प्रार्थी  
स्वयं उपस्थित नहीं। बार-बार, जोरजोर  
से आवाज लगाने पर भी वकील प्रार्थी  
या प्रार्थी स्वयं उपस्थित नहीं हुए। अतः  
प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र इसी स्तर पर  
अदम पेशी-अदम हाजिरी में खारिज किया  
जाता है। पत्रावली बाद तत्काल  
होकर दायित्व दफ्तर हो।

निर्णय लिखाया जाकर थुके  
न्यायालय में सुनाया गया।

  
(अमिता सिंह)  
R.A.S.